



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 353] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 1978/ आषाढ़ 29, 1900
No. 353] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 1978/ASADHA 29, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1978

का. आ. 457(अ).—भारतीय रेल अधिनियम 1890 (1890 का अधिनियम 9) के
खंड 82 बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार ने विनिश्चय
किया है कि श्री आर. एस. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिवानी हरियाणा सरकार,
जिन्होंने इस मंत्रालय की 14-12-77 की समसंख्यक अधिसूचना (एस ओ 838 ई) द्वारा
पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के अलवर-मेरगाड़ी खंड पर अजमेर और बावल स्टेशनों
के बीच 23-11-77 को हुई 2 डाउन अहमदाबाद-दिल्ली मेल की दुर्घटना के कारण दावा

का निपटारा करने के लिए दावा आयुक्त नियुक्त किया गया था और अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में करनाल स्थानान्तरित कर दिया गया है, वह जिला एवं सत्र न्यायाधीश, करनाल की अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त दावा आयुक्त के रूप में भी काम करते रहेंगे। उनका मुख्यालय रिवाड़ी में ही रहेगा।

[सं. 77/ई(ओ) 2/1/6]

प्र. ना. मोहिले, सचिव,

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 1978

S.O. 457(E).—In exercise of the powers conferred by Section 82 B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), the Central Government have decided that Shri R. S. Gupta, District & Sessions Judge, Bhiwani, Government of Haryana who has been appointed Claims Commissioner to deal with all the claims arising out of the accident to 2 DN Ahmedabad-Delhi Mail between Ajarka and Bawal stations on Alwar-Rewari Section of Jaipur Division of Western Railway on 23-11-77 vide this Ministry's notification of even number of 14-12-77 (S.O. 838-E) and who has since been transferred as District and Sessions Judge, Karnal will continue to work as such in addition to his own duties as District & Sessions Judge, Karnal. His headquarters will continue to be at Rewari.

[No. 77/E(O) II/1/6]

P. N. MOHILE, Secy.